ड्राईविंग लाईसेंस का नवीनीकरण

I आधार

प्रत्येक ड्राईविंग लाईसेंस को उसकी प्रभावी अवधि के समाप्त होने के 30 दिन के भीतर नवीनीकरण कराना होता है।

II अवधि

यदि ड्राईविंग लाईसेंस की प्रभावी अवधि के समाप्त होने के 30 दिन के भीतर नवीनीकरण नहीं कराना जाता है तो, ड्राईविंग लाइसेंस का नवीनीकरण इसके नवीनीकरण किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।

III प्रक्रिया

ड्राईविंग लाईसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उस क्षेत्र में, जिसमें प्रार्थी सामान्यतया निवास करता है या व्यवसाय करता है, अधिकारिता रखने वाले लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को प्ररूप 9 में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हुए, किया जायेगा:-

1. आवेदक के नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो की तीन प्रतियाँ
2. ड्राईविंग लाईसेंस (मूल)
3. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 32 के अनुसार फीस।
4. परिवहन वाहनों एवं गैर परिवहन वाहनों के ऐसे आवेदक जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, के ड्राईविंग लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु प्ररूप संख्या 1-ए में मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि सरकारी सेवारत चिकित्सक द्वारा जारी किया जाएगा।
5. यदि नवीनीकरण करने वाली लाईसेंसिंग ऑथेरिटी, ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने वाले मूल लाईसेंसिंग ऑथेरिटी नहीं है तो नियम 4 के अनुसार निवास स्थान प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

इस प्रकार नियमानुसार प्राप्त आवेदन के आधार पर ड्राईविंग लाईसेंस का नवीनीकरण कर दिया जायेगा।